यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/98/2018 **दिनांक :** 14.08.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

बैंकिंग उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं पर वित्त मंत्री को स्मरण-पत्र

आप सभी को ज्ञात ही है कि 03.08.2018 को यूएफबीयू का प्रतिनिधिमण्डल माननीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल से मिला और बैंकिंग उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं जैसे वेतन पुनरीक्षण को त्वरित किया जाये, वेतन पुनरीक्षण में स्केल–VII तक के अधिकारियों के सभी स्तरों को शामिल किया जाना, खराब ऋणों में चिंताजनक वृद्धि, देना बैंक पर से प्रतिबंध वापस लेने की आवश्यकता, सरकार को आईडीबीआई बैंक में अपनी शेयरधारिता 51% से कम नहीं करनी चाहिए, बैंकों को आधार कार्ड जारी करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, बैंक अधिकारियों के उत्पीड़न को रोकना, कामगार निदेशकों तथा अधिकारी निदेशकों के पदों को तत्काल भरा जाना, आदि पर उनको स्मरण–पत्र प्रस्तुत किया।

इनके अतिरिक्त माननीय वित्त मंत्री को कर्मचारियों कल्याण योजनाओं के लिए राशि आवंटित करने के बारे में भी स्मरण–पत्र दिया गया था। हम इसका अनूदित सार आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

विषय : बैंकों में कर्मचारी कल्याण योजना के लिए निधि का आवंटन

आपको ज्ञात ही है कि बैंकों के कर्मचारियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके परिवारों के लाभ के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनायें लागू करने के लिए अपने दिशानिर्देश दिये हैं। यह योजना इन कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए बैंकों के प्रकाशित शुद्व लाभ के 3% का आवंटन प्रदान करती है।

पिछले दो वर्षों से, आरबीआई के दिशानिर्देशों के कारण, अधिकतम राशि बैंकों में अनिष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान की ओर प्रदान की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों के शुद्ध लाभ में भारी कमी आई है और कई बैंक घाटे में आ गये हैं। निम्नलिखित तालिका पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के शुद्ध लाभ में आई भारी कमी को स्पष्ट करेगी।

	सकल परिचालन लाभ	खराब ऋणों के लिए प्रावधान	प्रावधानों के उपरांत शुद्ध लाभ/हानि
2013-14	1,27,653	90,633	+ 37,019
2014-15	1,37,760	1,00,901	+ 37,540
2015-16	1,36,275	1,53,967	- 18,417
2016-17	1,58,982	1,70,370	- 11,388
2017-18	1,50,149	2,86,004	- 85,370

इसलिए, हम इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन तथा सरकार से शुद्ध लाभ के बजाय बैंकों के परिचालन लाभ में से कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए निधि के आवंटन की अनुमति देने का अनुरोध कर रहे हैं।

चूंकि शुद्ध लाभ 21 बैंकों में से 19 में नकारात्मक हैं, इन बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए किसी भी आवंटन से वंचित किया जा रहा है। आप भी मानेंगे कि कर्मचारियों का खराब ऋणों के लिए किए जाने वाले प्रावधानों और इसके फलस्वरूप बैंकों के शुद्ध लाभ पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए, सभी निष्पक्षता में, यह उचित होगा कि कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन बैंकों के परिचालन लाभ से किया जाये।

वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग के पत्र एफ नं0 14/7/02-IR(Vol,II) दिनांक 24.2.2012 के माध्यम से सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को निम्नलिखित सीमाओं के अधीन शुद्ध लाभ का 3% आवंटित करने की अनुमति थी :

	श्रेणी	**अधिकतम प्रति वर्ष**
i	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	रू0 100 करोड़ *
ii	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिनकी सम्मिलित व्यवसायिक राशि रू0 3,00,000 करोड़ से अधिक और कर्मचारियों की संख्या 30,000 से अधिक है	रू0 25 करोड़
iii	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिनकी सम्मिलित व्यवसायिक राशि रू0 1,50,000 करोड़ से अधिक रू0 3,00,000 करोड़ तक है और कर्मचारियों की संख्या 20,000 से 30,000 तक है	रू0 20 करोड़
iv	अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	रू0 15 करोड़

* एसबीआई के साथ सहयोगी बैंकों के विलय के कारण इसे 2017–18 में रू0 150/– करोड़ तक संशोधित किया गया है।

15.09.2017 तथा 21.3.2018 को श्री अरूण जेटली से हमारे प्रतिनिधिमण्डल की भेंट के दौरान, उन्होंने परिचालन लाभ के आधार पर आवंटन के लिए हमारे सुझाव की सराहना की और इस मामले में बैंकों को उचित सलाह देने का आश्वासन दिया।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस न्यायोचित प्रतिवेदन पर अनुकूल रूप से विचार करें और बैंकों को संशोधित दिशानिर्देश जारी करने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करें।